न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /22/2015

ओमप्रकाश उम्र 57 वर्ष पुत्र स्व. ख्यालीराम जाति जाट निवासी गद्दी की आरा मशीन के पीछे सेवर कलां तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1–जलश्री पत्नि स्व. नारायणसिंह (मृतक)

1/1–सुनीता उम्र 43 वर्ष पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि पुष्करसिंह जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/2–अनीता उम्र 42 वर्ष पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि शैलेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई ।

1/3–राजेश वर्ष 40 पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि रोहिताश सिंह जाति जाट निवासी निवासी पाऊआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

1/4–कमलेश उम्र 38 वर्ष पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि अतरसिंह जाति जाट निवासी पाऊआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

1/5–मनिन्दर सिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. नारायणसिंह जाति जाट निवासी गद्दी की आरा मशीन के पीछे सेवर कलां तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश न्यायालय नायव तहसीलदार भरतपुर दिनांक 11.4.1997 बाबत नामान्तकरण संख्या 375 ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर

———

उपस्थितः–

1– श्री महाराजसिंह डांगुर,अभिभाषक अपीलान्ट,

2– श्री पंकज कुमार, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय दिनांक 12.03.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश नायव तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 375 दिनांक 11.4.1997 ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 375 दिनांक 11.4.1997 ग्रांम सेवर कलां पर नारायण सिंह पुत्र ख्याली जाति जाट निवासी कवई को रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 183 पर खातेदार 1/2 हि. दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण आदेश के खिलाफ अपीलान्ट ने व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.7.2015 को पेश की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। उभय पक्ष की लिखित बहस शामिल मिसिल की गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस कथन किया है कि खरीद शुदा उक्त आराजी खसरा नमबर 1829/0.13 स्थित ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर से अपीलार्थी का मृतक नारायण सिंह के साथ निस्फ का हिस्सा है यानि खरीदे गये 1/2 हिस्सा में अपीलार्थी व स्व. नारायणसिंह समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज रहे हैं, यह आराजी हिस्सा 1/2 हम दोनों ने ही खरीदा है इसलिये स्व0 नारायणसिंह के हक में स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण कतई गलत दर्ज किया है जो निरस्तनीय है। मौके पर विवादित आराजी पर भूखण्ड पर आधे पर अपीलार्थी व आधे पर स्व. नारायणसिंह का सयुंक्त रुप से कब्जा रहा है जो सयुंक्त रुप से काबिज चले आ रहे हैं। अपीलार्थी व स्व0 नारायणसिंह सयुंक्त परिवार से क्रय व धन से यह भूखण्ड खरीदा है इसका विभाजन का दावा भी न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष विचाराधीन है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत व निरस्तनीय है। उक्त भूखण्ड का मौके पर गैंतो के रुप में दोनों पक्षां द्वारा उपयोग व उपभोग किया जाता रहा है इसलिये अकेले नारायणसिंह के नाम इन्द्राज खातेदारी कतई गलत है विधि व मौके की स्थिति के विपरीत है इसलिये भी आदेश तहत गलत है निरस्तनीय है। योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि तहत न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं रही थी अब दिनांक 7.6.2015 को पटवारी हल्का के द्वारा बतलाने पर दिनांक 8.6.2015 को आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 17.6.2015 को नकल आदेश मिली है और अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने की दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। फिर भी धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पृथक से पेश किया है। विवादित आराजी में अपीलार्थी 1/2 हिस्से में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज है इसलिये आदेश तहत से परिवेदित है इसके बने रहने से अपीलार्थी के अधिकार विपरीत रुप से प्रभावित होते हैं इसलिये उसके द्वारा यह अपील पेश की गई है। विवादित आराजी में 1/2 हिस्से पर अपीलार्थी का वास्तविक कब्जा है कथित नामान्तकरण को स्वीकृत करने से पूर्व भी तहत न्यायालय ने मौके पर कब्जे बाबत कोई भी नही गई है, दाखिल खारिज तय करने से पूर्व कब्जा अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु है ऐसा नहीं कर तहत न्यायालय ने नियमों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से तहत न्यायालय ने सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। विवादित आराजी बैयनामा के द्वारा क्रय की गई है, दोनों भाईयों के सयुंक्त धन व श्रम से अर्जित सम्पत्ति से खरीदी गई है इसके अलावा विक्रय पत्र नारायणसिं के नाम बडा भाई होने के नाते कराया है इस बिन्दु पर भी जांच नहीं कर तहत न्यायालय ने गलती की है। प्रार्थी एवं स्व. नारायण सिंह का संयुक्त परिवार रहा है और उनके संयुक्त धन राशि से ही विवादित

.....3

जिला कलक्टर,
भरतपुर

आराजी क्रय की गई है इस प्रकार भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलार्थी एवं उसका भाई नारायनसिंह नया गांव माफी तहसील वैर जिला भरतपुर की जायदाद को विक्रय करके सेवर आये थे और यहाँ सेवर में उनकी उक्त सयुंक्त धन राशि से विवादित आराजी एक अन्य सम्पत्ति क्रय की है इस प्रकार से विवादित आराजी में अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा पर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.सी. 2001 पेज 310, आर.आर.सी. 2001 पेज 312, ए.आई.आर. 1986 पेज, ए.आई.आर. 1985 पेज, आर.बी.जे.1995(2) पेज 55, आर. आर.टी. 2011 पेज 1264, आर.आर.टी. 1983 पेज 310, आर.आर.डी. 1998 पेज 319, 324, आर.आर.डी. 2089 पेज 45, आर.आर.डी. 1994 पेज 77, आर.आर.डी. 1990 पेज 477, आर.आर.डी. 1990 पेज 479, आर.बी.जे.(15) 2008 पेज 407, उद्धिरित करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 375 पेज 11.4.1997 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया है कि अपीलान्ट ने उक्त अपील रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 2.4.97 के आधार पर मंजूर किये गये नामान्तकरण संख्या 375 पेज 11.4.1997 के खिलाफ पेश की गई है। रजिस्टर्ड बयनामा को आज दिनांक तक अपीलाट द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 2.4.1997 अविवादित बयनामा है जब तक बयनामा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक दाखिल खारिज को निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट ने अपने अधिकारों के निर्धारण के लिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर व सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर दिया है। सिविल न्यायालय ने दस्तावेज व साक्ष्य का विवेचन कर दावा अपीलान्ट खारिज कर दिया है जिसकी अपील विचाराधीन है। योग्य अभिभाषक रेस्पो का कथन है कि अपील में अपीलान्ट के अधिकार तय नहीं हो सकते हैं। अपीलान्ट अपीलाधीन दाखिल खारिज के किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है। उसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अपील म्याद बाहर पेश की गई, देरी को माफ करने के लिये कोई स्पष्ट कारण अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज नही किया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया, तथा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद विन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। प्रार्थी ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 7.5.15 को होना अंकित किया है। प्रार्थी ने सिवाय मौखिक कथनों के कोई शपथ पत्र पटवारी का

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 11.4.1997 को स्वीकार हुआ है जिसकी अपील काफी विलम्ब 18 साल बाद पेश की गई है।

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 375 दिनांक 11.4.1997 अवलोकन किया गया, उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14–15 में अंकित इन्द्राज से स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 2.4.1995 के आधार पर नारायण सिंह पुत्र ख्याली जाति जाट के हक में खातेदारी का तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 1.4.1997 को स्वीकार किया गया है। रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर दर्ज किये गये नामान्तकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है और नाहीं कब्जे की बाबत जांच की आवश्यकता रहती है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जासके कि रजिस्टर्ड बयनामा आज अस्तित्व में ना हो। तहत न्यायालय ने रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर नियमों के तहत नामान्तकरण स्वीकार किया है। जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर